

राजस्थान-सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पिड़ावा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प पिड़ावा

-: आदेश :-

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का आकोदिया व भू-अभिलेख निरीक्षक सलोतिया की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सुनेल की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम आकोदिया तहसील सुनेल जिला झालावाड़ की जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 मे खाता संख्या 104 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्रम संख्या	ग्राम/तहसील	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी हैं)
1	आकोदिया तहसील सुनेल	104	बापूलाल	बाबूलाल



ह.सिंह
(हरबिन्दर डी सिंह)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़

क्रमांक:- राजस्व/2019/1124-25

दिनांक 21/11/2019

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ व पालनार्थ हेतु प्रेषित हैं:-

1. तहसीलदार सुनेल को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री बाबूलाल पिता पन्ना मेघवाल नि० आकोदिया को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

ह.सिंह
(हरबिन्दर डी सिंह)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़

